17

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सूरज सिंह नेगी

मु0 नंबर	तारीख रजू	किस्म मुकदमा
229 / 2021	24–8–21	अपील

उनवान

1– कल्ला पुत्र पॉच्या जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खंडार
जिला सवाई माधोपुर

2– रामपति पत्नी कल्ला जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खंडार
जिला सवाई माधोपुर बनाम

सरकार

उपस्थित अभिभाषकगण

1–श्री जगदीशप्रसाद शर्मा ,एड0अपीलान्टगण की ओर से

2–पेरोकार सरकार –रेस्पो0की ओर से

निर्णय दिनांक 29–11–2021

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खंडार द्वारा विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1933 आदेश दिनांक 15–12–10 प्रशासन गांवो के संग अभियान राजस्व केम्प ग्राम पंचायत बालेर तहसील खण्डार वर्ष 2010 में विवादग्रस्त नामान्तकरण खारिज किये जाने से पूर्व अपीलान्टगण को कोई नोटिस भी जारी नही किया गया तथा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । पटवारी हल्का ने तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 15–12–10 की पालना में नामान्तकरण भरा गया था लेकिन तहसीलदार खण्डार द्वारा किस दिनांक को नामान्तकरण खारिज किया गया का अंकन नही किया है । यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15–12–10 प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्टगण भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति ,बैरवा जाति के व्यक्ति होने के कारण आवंटित भूमि पर आज भी [illegible] कब्जा चला आ रहा है । जिसकी पुष्टि हेतु खसरा गिरदावरी चौस[illegible] की छाया प्रति संलग्न की है । एंव विवादित भूमि आज भी [illegible] है कि ग्राम[illegible] में बाढ आ जाने के कारण कब्जे की भूमि में खडी फसल ब[illegible] हो जाने के कारण अ[illegible]गण दिनांक 28–7–21 को पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने के लिये गया तो पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हल्का ने सर्वप्रथम नामान्तकरण की नकल उपलब्ध करवाई की प्रशासन गांवो के संग अभियान में नामान्तकरण खारिज हो गया है । इससे पूर्व अपीलान्टगणो को विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1933 के निरस्त होने की कतई जानकारी नही थी , इस बाबत म्याद के बिन्दु पर लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । यह है कि विवादित भूमि आज तक गैरखातेदारी में होने के कारण अपीलान्टगणो को प्रधानमंत्री योजना के साथ साथ बैंक से कृषि भूमि के विकास हेतु ऋण लेने में भी असमर्थ है । अतः विवादग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी हेतु ही बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1933 दिनांक 15–12–10 ग्राम बालेर निरस्त फरमाया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडैन्ट को नोटिस जारी किया गया । सरकार की ओर पेरोकार सरकार उपस्थित हुए । वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया गया । उभय पक्ष के वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया ।उक्त दस्तावेज एवं विवादग्रस्त नामान्तकरण का अवलोकन करने से नामान्तकरण संख्या 1933 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है ,नामान्तकरण संख्या 1933 ग्राम बालेर खारिज किया जाता है । अगर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही की जाती है तो तहसीलदार 14(4)का प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे ।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2021 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested